

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096

फाइल नं. सीपूज-सेज/सुरक्षा/अनुमति पत्र/07/2016-17/38476


दि.-16-12-16

परिपत्र संख्या - 168/29-12-2016

विकास आयुक्त कार्यालय के परिसर में दिव्यांग व्यक्ति को ऑटो-रिक्शा से प्रवेश / निकास संबंधी शर्तें।

1. विकास आयुक्त कार्यालय कॉम्प्लेस में दिव्यांग व्यक्ति को ऑटो-रिक्शा/ टैक्सी (ओला /उबेर) / टी परमिट वाहन से एक्सटरनल द्वार से दिव्यांगता का प्रमाणपत्र अथवा चिकित्सा प्रमाणपत्र इयुटी पर तैनात सुरक्षा रक्षक को दिखाने के बाद प्रवेश/निकास दिया जाएगा। इसके लिए अलग से अनुमती लेनी की आवश्यकता नहीं है।
2. दिव्यांग व्यक्ती को छोड़ने के बाद ऑटो-रिक्शा / टैक्सी (ओला /उबेर) / टी परमिट वाहन को तुरंत कॉम्प्लेस से बाहर जाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति ड्राइवर को सूचित करेंगे।

यह परिपत्र मा.विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


19/12/16
सुरक्षा अधिकारी
सीपूज-सेज

प्रति,

- 1) विकास आयुक्त कार्यालय
- 2) प्रेसिडेंट, जेम्स अँड ज्वेलरी एसोसिएशन
- 3) रिजनल डायरेक्टर, 100 % ईओयू
- 4) एमआयडीसी अनुभाग
- 5) चिकित्सा अनुभाग
- 6) बिग बॉस जिम
- 7) डाक घर
- 8) प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- 9) प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- 10) प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया
- 11) प्रबंधक, पंजाब नॅशनल बैंक
- 12) आइटी अनुभाग- वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए